राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कालूराम बनाम रामधन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	1104/2017 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 निरस्त करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी सहमति जाहिर की। चूँकि दोनों पक्षों द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की सुनवाई कर पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने पर अपनी सहमति जाहिर की है। अत: प्रकरण का गुणावगुण का परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 09/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	